राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ..302/2017 .....जिला.....नागौर.....

उनवान – मैसर्स वी.के. एजेन्सी नागौर बनाम सहायक आयुक्त मेडता सिटी, नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.03.2017	एकलपीठ राजीव चौधरी, सदस्य अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री ओ पी माहेश्वरी एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री जमील जई उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से हस्तगत अपील अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 02.02.2017, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित निर्धारण आदेशों वर्ष 2013–14 के जरिये कायम मांग राशि रू0 3,25,241– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है। उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधी ने कथन किया गया कि व्यवहारी द्वारा जनरल सामान के विभिन्न उत्पादों की बिक्री कर, वैट–38 से आगत कर का समायोजन चाहा गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अंकित करते हुए कि उक्त वेट–38 फर्म के नाम से नहीं होकर व्यक्ति के नाम से है एवं टिन में अपंजीकृत दर्ज हैं, अतः समायोजन अस्वीकार किया जाकर कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.07.2016 को पारित किया गया। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी फर्म के पास मै0 वी. के. एजेन्सी के नाम से टिन नम्बर है तथा श्री विमल किशोर उक्त फर्म के प्रोपराइट है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे अस्वीकार करते हुए करारोपण किया है, जो अविधिक हैं। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का कथन है कि किसी भी वस्तु पर दो बार करारोपण नहीं किया जा सकता। फर्म द्वारा कर योग्य माल सिगरेट की बिक्री पर पूर्व में ही कर का भुगतान किया जा चुका है। अतः इस पर दूबारा कर का आरोपण करना अविधिक हैं। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रकरण व सुविधा संतुलन प्रथम दृष्टया अपीलार्थी के पक्ष में होने के कारण, बकाया मांग वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। बहस के दौरान विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधिं के कर राशि को समायोजन वैट–38 के तहत् जमा कराई गयी कर राशि से चाहा गया है जबकि उक्त कर, कर योग्य माल सिगरेट बिना बिल पाये जाने पर प्रतिकरापवंचन मानकर श्री विमल कुमार पुत्र श्री दाउद दयाल के नाम से वेट–38 जारी किया गया। यह वेट –38 अपीलार्थी फर्म के नाम से न होकर व्यक्ति के नाम से है एवं यह टिन में पंजीकृत नहीं है। इस लिये उक्त वेट–38 के अधीन जमा कराई गई राशि का समायोजन फर्म के देय कर के पेटे नही किया जा सकता। इस प्रकार विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा लगातार.....2.	

कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधि के अनुकुल आदेश पारित किया है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कानूनी प्रावधानों के मध्यनजर आदेश पारित किया है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः रोक आवेदन पत्र अस्वीकार किया जावे।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी वेट अधिनियम की धारा 63(3)(a) के अधीन शमन पर वेट–38 के तहत् जमा कराई गई राशि का समायोजन आगत कर की मुजरा राशि में चाहा गया है। जिसके संबंध में अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि किसी भी वस्तु पर दो बार करारोपण नहीं किया जा सकता। फर्म द्वारा कर योग्य माल सिगरेट की बिक्री पर पूर्व में ही कर का भुगतान किया जा चुका है। अतः उस पर दोबारा कर का आरोपण विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन रहा है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट–38 में फर्म का नाम नहीं होकर विमल किशोर अंकित होने और टिन नम्बर अंकित नहीं होने से इस वेट–38 को अपीलार्थी फर्म से संबंधित नही माना गया। जबकि अपीलार्थी फर्म के पास मैसर्स वी. के. एजेन्सी के नाम से टिन नम्बर है तथा श्री विमल किशोर उक्त फर्म के प्रोपराइट है। अपीलार्थी की ओर से 23.02.2017 का शपथ पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई। जिसमें विमल किशोर अग्रवाल द्वारा अपीलार्थी फर्म का प्रोपराईटर होना कथित किया गया है। उक्त शपथ पत्र धारा 38(4) के तहत् प्रस्तुत वर्तमान अपील के प्रक्रम पर प्रस्तुत किया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कर योग्य माल सिगरेट बिना बिल पाये जाने पर प्रतिकरापवंचन मानकर श्री विमल कुमार पुत्र श्री दाउद दयाल के नाम से वेट–38 जारी किया गया। जिसके संबंध में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का यह तर्क रहा है कि वेट–38 अपीलार्थी फर्म के नाम से न होकर व्यक्ति के नाम से है एवं यह टिन में पंजीकृत नहीं है। इस प्रकम पर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किया जाना न्याय संगत नहीं है। किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया था। जिसका अपीलार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। वेट–38 में अपीलार्थी फर्म का नाम एवं टिन नम्बर अंकित नहीं है। कर योग्य माल बिना बिल के पाये जाने पर धारा 68(3)(a) के तहत् शमन करवाया जाकर राशि जमा करवायी गयी जिसका वेट–38 जारी किया गया उसके अनुसार उक्त शमन की राशि फर्म के नाम व टिन नम्बर से जमा नहीं करवायी गयी। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना यह पीठ इस नतीजे पर पहुँची है कि बकाया मांग के बिन्दु पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होती है। अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 02.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 38(4) अस्वीकार की जाती है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त आदेश प्राप्ति के <u>तीन माह</u> में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करें ।

निर्णय सुनाया गया । 06/03/17

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर